//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 148/2018

उनवान

1. छीतर दत्तक पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम मंडियानी, नसीराबाद (फौत), जरियें वारिस
1/1. गंगा पत्नी छीतर
1/2. नारायण पुत्र छीतर
1/3. मांगीलाल पुत्र छीतर
1/4. रामचन्द्र पुत्र छीतर
1/5. श्याणी पुत्री छीतर
1/6. सन्नू पुत्री छीतर समस्त जाति गूर्जर नि0 ग्राम मंडियानी, नसीराबाद
— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

दिनांक :– 2.1.24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंडियानी की निम्न आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
697	1–15–0	605	0.29
483	174–10–0	604	0.80

ग्राम मंडियानी के चौसाला खसरा नमबर 321, 322 के वंर्किग खसरा नमबर 697 रकबा 1–15–0 व 483 रकबा 174–10–0 में से 6–4–0 भूमि का वादी के पिता नाथू पुत्र कज्जा के नाम वंर्किग जमाबंदी में दर्ज कर वादी के नाम नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 23.9.1998 व नामान्तकरण संख्या 107 से खातेदारी दर्ज किया गया तथा वादी पुश्तैनी समय से भूमि पर काबिज खातेदार चला आ रहा है। किन्तु उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 604 रकबा 0.80 व 605 रकबा 0.48 हाल राजस्व अभिलेख में [illegible] दी गयी। हाल खसरा नम्बर का खातेदार वादी को घोषित किया ज[illegible] को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवा[illegible]। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा [illegible] 697 सिवायचक खाते में दर्ज है। जिसके हाल खसरा नमबर 605 भी सिवायचक दर्ज है [illegible]त खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पर वादी या उसके पूर्वजों क कनाम कभी कोई अंकन स्वीकार नही हुआ। वंर्किंग खसरा नमबर 483 वंर्किंग जमाबंदी में सिवासचक खाते में दर्ज था। जिस पर बदर सूची अनुसार नाथू पुत्र कज्जा के नाम 6–4–0 भूमि का अंकन दर्ज है। वादी द्वारा पूर्व राजस्व अभिलेख पेश नही किया है। नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 23.09.89 के अनुसार खसरा नम्बर 483 पर विरासत से वादी का नाम अंकन स्वीकार है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज है अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में वादीगण/पूर्वज की विधिक खातेदारी में थी ?

–– वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

–– वादी

3. आया वादी चादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?

–– वादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में रामचन्द्र, मांगीलाल व श्रीराम के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व आवंटन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वंर्किंग जमाबंदी अनुसार वंर्किंग खसरा नम्बर 483 रकबा 174–10–0 में से 6–4–0 भूमि बदर सूची से नाथू पुत्र कज्जा के नाम दर्ज हुयी। चौसाला खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028–31 व 2038 में भी वादी के पिता का नाम दर्ज है। चौसाला खसरा नम्बर 321/1 रकबा 6–1–0 भी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032–35 में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद वंर्किंग खसरा नमबर 483 रकबा 6–4–0 वादी के नाम जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 89 से दर्ज हुआ। वंर्किंग खसरा नम्बर 697 रकबा 1–15–0 वंर्किंग जमाबंदी में भी सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में भी सिवायचक खाते में दर्ज थी। अतः वंर्किंग खसरा नम्बर 483 पर ही वाद के कथनो की ताईद होती है। तनकी संख्या 1 आंशिक बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वंर्किंग खसरा नम्बर 483 रकबा 6–4 वादी के पिता के नाम पूर्व राजस्व अभिलेख में खातेदारी थी। उक्त आराजी जरिये विरासत वादी के नामविधिवत नामान्तकरण से अंकित की गयी। वंर्किंग खसरा नमबर 483 के हाल खसरा नम्बर 604 मिन रकबा 0.80, 69[illegible] रकबा 0.89 व 826 मिन रकबा 26.93 व 605 मिन रकबा 0.19 बने है। उक्त [illegible] न[illegible] वादी अथवा उसके पिता के नाम खातेदारी दर्ज नही है। हाल खसरा नम्बर 604 रकबा [illegible] व 605 मिन रकबा 0.19 सिवायचक खाते में दर्ज है। उक्त आराजी बिना किसी आदेश [illegible] नामान्तकरण के वादी की खातेदारी के स्थान पर सिवायचक दर्ज कर दी गयी। राज0 पैरोकार ने भी यह

3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:22 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा को किस आदेश से हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। वर्किंग खसरा नम्बर 483 की भूमि का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। तनकी संख्या 2 व 3 आंशिक रूप से बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मंडियानी के हाल खसरा नम्बर 604 रकबा 0.80 व 605 रकबा 0.19 की आराजी पर वादी का वाद " **स्वीकार**" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छीतर बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 148/2018
पेश करने की दिनांक – 24.10.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मंडियानी के हाल खसरा नम्बर 604 रकबा 0.80 व 605 रकबा 0.19 की आराजी पर वादी का वाद " **स्वीकार**" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह 1 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:22 IST
Reason: SelfAttested